भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3539

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

न्यूनतम शेष राशि पर प्रभार में छूट

3539. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री मनीष जायसवाल: श्री सुधीर गुप्ता:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने बचत खाता-धारकों को बैंकों में अपना खाता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम शेष राशि पर शुल्क/प्रभार पर छूट की हाल ही में घोषणा की है या उसे लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निर्णय के पीछे क्या औचित्य है और वित्तीय समावेशन और ग्राहक प्रतिधारण पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ऐसे उपायों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कोई वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान कर रही है/प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन शुल्कों/प्रभारों में छूट के कारण बैंकों पर पड़ने वाले अनुमानित वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीएएसए (चालू खाता और बचत खाता) अनुपात को बनाए रखने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): ग्राहकों के बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने पर शुल्क/प्रभार बैंकों के माध्यम से उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लगाए जाते हैं। आरबीआई के दिनांक 20.11.2014 और दिनांक 1.7.2015 के परिपत्रों के माध्यम से बैंकों को सेवा शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर भी शुल्क शामिल है बशर्ते कि ये शुल्क उचित होने चाहिए और सेवाएँ प्रदान करने की लागत औसत से अधिक नहीं होने चाहिए। बैंक अपनी बोर्ड द्वारा

अनुमोदित नीति और व्यावसायिक समझदारी के आधार पर शुल्क हटा सकते हैं या अपनी सेवा लागत से कम शुल्क ले सकते हैं।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के भाग के रूप में, आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए कुछ शर्तों के साथ 'मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' शुरू करने की सलाह दी है, जिसमें न्यूनतम राशि (बैलेंस) रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इन खातों में जमा, निकासी, एटीएम कार्ड आदि जैसी कुछ बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएँगी।

इसके अलावा, बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत भी बिना किसी न्यूनतम राशि (बैलेंस) की आवश्यकता के खाते खोल सकते हैं।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग को लागू करने के लिए, अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सामान्य बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि पर लगने वाले शुल्क को भी हटा दिया है, जबकि कुछ ने अपनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार इसे युक्तिसंगत बनाया है। जमा राशि में वृद्धि आदि के संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक समझदारी के साथ, उनकी व्यावसायिक कार्यनीति के एक भाग के रूप में ये शुल्क हटाए/युक्तिसंगत बनाए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सीएएसए (चालू खाता और बचत खाता) जमा को आकृष्ट करने और ग्राहक प्रतिधारण को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति भी लागू की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ावा देने के लिए वैश्लेषिकी का उपयोग करते हुए निरंतर उत्पाद नवाचार और खंड-विशिष्ट उत्पाद पेशकश;

(ii) वीडियो केवाईसी, डिजिटल केवाईसी सत्यापन का उपयोग जैसी तकनीक का लाभ उठाकर ग्राहकों को सहज और निर्बाध रूप से शामिल करना;

(iii) मौजूदा जमाराशि के प्रतिधारण के लिए और नई जमा राशियों का अधिग्रहण करने तथा डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक के प्रस्तावों के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण;

(iv) वित्तीय आउटरीच कार्यक्रम/व्यावसायिक अभियान; और

(v) प्रस्तावित सेवाओं की औसत संख्या में वृद्धि, ग्राहक-अनुकूल सुविधाओं और ग्राहक इंटरफ़ेस संबंधी उपलब्ध क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग तक पहुँच में वृद्धि।

*****